समस्या

कहीं सफाई बेहतर तो कहीं सुविधाओं और रखरखाव की कमी बनी चिंता का विषय

सफाई व्यवस्था सुधरी, लेकिन सुविधाएं अब भी अधूरी

नवभारत, जबलपुर। नगर निगम द्वारा शहर के हर कोने में बनाए गए जनसुविधा केंद्र आम लोगों को राहत देने के उद्देश्य से शुरू किए गए थे, लेकिन कई स्थानों पर इनकी स्थिति अब भी ठीक नहीं है। शुक्रवार को नवभारत द्वारा नेपियर टाउन, सिविक सेंटर एवं सदर बाजार स्थित जनसुविधा केंद्रों की पड़ताल की गई, जहां व्यवस्थाओं को लेकर लोगों ने अपनी बात रखी। जहाँ नेपियर टाउन स्थित जनसुविधा केंद्र को लेकर स्थानीय नागरिकों ने बताया कि यह करीब 8-9 वर्ष पुराना है। लोगों का कहना है कि पिछले कुछ साल पहले तक यहां हालात बेहद खराब थे। नियमित सफाई नहीं होने से गंदगी की समस्या बनी रहती थी। वर्तमान में स्थिति में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन रखरखाव अब भी पूरी तरह नहीं माना जा सकता।

बेहतर थी सफाई

सदर बाजार स्थित जनसुविधा केंद्र में सफाई व्यवस्था बेहतर मिली। कर्मचारियों के अनुसार यहां दिन में दो बार सफाई कराई जाती है, जिससे परिसर साफ नजर आया। महिलाओं एवं दिव्यांग महिलाओं के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई है, लेकिन पुरुष दिव्यांगों के लिए अलग व्यवस्था न होना एक कमी के रूप में सामने आया। नागरिकों ने कहा है कि शहर के सभी जनसुविधा केंद्रों का समय-समय पर देख-रेख की जाए और जहां कमी है, वहां सुधार कार्य कराए जाएं, ताकि आम लोगों को स्वच्छ, सुरक्षित और समान सुविधाएं मिल सकें।

इनका कहना है

पहले यहां की हालत काफी खराब रहती थी। सफाई और रखरखाव की कमी के कारण लोगों को परेशानी होती थी। अब स्थिति में थोड़ा सुधार जरूर हुआ है।

रितेश जैन
स्थानीय दुकानदार

यहां रोजाना दिन में दो बार सफाई कराई जाती है, जिससे लोगों को साफ-सुथरी सुविधा मिल सके। महिलाओं और दिव्यांग महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था भी उपलब्ध है। लेकिन दिव्यांग पुरुषों के लिए व्यवस्था नहीं की गई है।

करण व्यास, कर्मचारी

भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गए डीपीसी सुनील शर्मा

ईओडब्ल्यू एसपी, कलेक्टर से शिकायत पर कार्रवाई की मांग

जबलपुर। टीवी मुक्त भारत अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायतें थमने का नाम नहीं ले रहीं हैं। पिछले 8 वर्षों से इस पद पर जमे जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) सुनील शर्मा पर 1 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय अनियमितता को अंजाम देने के गंभीर आरोपों ने विभाग के भीतर हड़कंप मचा दिया है।

शुक्रवार को शिकायतकर्ता अरविन्द मिश्रा द्वारा कलेक्टर और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के एसपी को की गई शिकायत में सुनील शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत में आरोप लगाया है कि सुनील शर्मा ने नियमों और आधिकारिक प्रक्रियाओं का उपयोग कर्तव्य पालन के रूप में नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए एक हथियार के रूप में किया है। उन्होंने भ्रष्टाचार की शुरुआत नोटशीट के जरिए की।

शर्मा ने नोटशीट आरम्भ करते समय भारत शासन की गाइडलाइन की कंडिका 1, 5 और 9 में खरीदारी व स्टाक से जुड़े अहम पदीय कर्तव्य पालन करने की आड़ में पदीय दायित्वों से प्राप्त अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए भण्डार क्रय नियमों का उल्लंघन में नोटशीट का आरम्भ किया।

नोटशीट चलाना जरूर शर्मा के अधिकार क्षेत्र में था और उन्होंने चलाई भी, इसलिए नोटशीट पर पहला हस्ताक्षर इनका था लेकिन नोटशीट चलाकर इन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर घोटाले की शुरूआत की, और नाम दिया कि वरिष्ठ अधिकारियों के अनुमोदन से काम करने का। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुमोदन को सुरक्षा कवच बनाकर खुद को जवाबदेही से बचाने का प्रयास किया गया। इस पूरे घोटाले में शर्मा को निलंबित पूर्व सीएमएचओ डॉ संजय मिश्रा और लाइन अटैच पूर्व डीपीएम आदित्य तिवारी का भी संरक्षण प्राप्त था।

क्या फाइलों मे दब जाएगा भ्रष्टाचार का सच?

शिकायतकर्ता ने ये भी बताया कि सुनील शर्मा ने 3 निजी चहेती फर्मों और खुद को लाभ पहुंचाने के लिए सिर्फ कागजी खरीददारी कर फर्जी तरीके से स्टोर में सामान की भौतिक उपलब्धता दिखाई थी। गौरतलब है कि पहले भी ऐसा ही घोटाला तत्कालीन सीएमएचओ डॉ संजय मिश्रा और डीपीएम आदित्य तिवारी ने किया था जो जांच में पकड़ा गया था जिसके लिए शासन के द्वारा सीएमएचओ को दोनों पदों से हटाकर निलंबित और डीपीएम से उसका प्रभार छीन लिया गया था। अब सवाल यह है कि क्या फाइलों के नीचे डॉ संजय मिश्रा, आदित्य तिवारी और सुनील शर्मा की तिकड़ी द्वारा किये इस भ्रष्टाचार का सच दबा दिया जाएगा?

लापरवाही के चलते गिरने से हुई थी नवजात शिशु की मौत, दर्ज हुई एफआईआर

जबलपुर। रांझी थाना अंतर्गत पुराना शोभापुर में लापरवाही के चलते एक नवजात शिशु पड़ोस में रहने वाली महिला के हाथ से लापरवाही पूर्वक गिर गया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपिया के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक 12 अप्रैल 26 को प्रहलाद पटेल 57 वर्ष निवासीं पुराना शोभापुर रांझी ने सूचना दी थी कि वह ऑटो चलाने का काम करता है। उसका लडका अरूण पटेल 30 वर्ष व बहू अमीशा पटेल 24 वर्ष की हैं जिनके एक बेटी वैष्णवी उम्र ढाई वर्ष की है। बहू अमीशा ने 12 मार्च 2026 को मेडिकल कालेज में नवजात शिशु समर्थ पटेल को जन्म दिया था। जिसको अस्पताल से छुट्टी होने के बाद घर लेकर आ गए थे। घर में ही बहू द्वारा बच्चे का पालन पोषण किया जा रहा था। 9 अप्रैल को सुबह 10.30 बजे बहु अपने कमरे के बाहर घर की छत पर अपने दोनों बच्चों के साथ थी उसी समय पडोस की रहने वाली वर्षा पटेल छत पर सीढी के पास आई और बहू से नवजात शिशु हाथ से लेकर बच्चे को खिलाते हुए अपने घर की सीढी के पास जाने लगी उसी दौरान घटना होने पर अपने घर के आंगन में गिर गई जो बच्चा भी उसके हाथ से घर के आँगन में जा गिरा बच्चे के गिरने से बच्चे के सिर में चोट लगने पर बच्चे को इलाज के लिए जेठी अस्पताल लेकर गए जहाँ इलाज दौरान डाक्टर ने बताया कि बच्चे की मौत हो गई है । जिसके बाद 10 अप्रैल को सुबह 11 बजे नवजात शिशु का अंतिम संस्कार कर आजाद नगर मरघटाई में दफना दिया था । शोकाकुल होने की वजह से पुलिस को सूचना नही दी थी । सूचना पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। नवजात शिशु समर्थ पटेल पिता अरूण पटेल 27 दिन निवासी पुराना शोभापुर रांझी के शव का पीएम कराया गया । परिजन दादा प्रहलाद पटेल ,मां श्रीमती अमिषा पटेल ,दादी श्रीमती प्रमीला पटेल के बयान दर्ज किए गए जिसमें पाया गया कि श्रीमती वर्षा पटेल ने नवजात शिशु समर्थ पटेल को हाथ में लेकर छत की सीढी से नीचे उतरते समय लापरवाही पूर्वक नवजात शिशु समर्थ पटेल को अपने हाथ से गिरा दी जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया ।

न्यायिक कर्मचारियों के वेतनमान मामले में मुख्य सचिव तलब

हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 14 को

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायिक कर्मचारियों के वेतनमान से जुड़े मामले में गंभीरता दर्शाई है। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव अनुराग जैन को 14 मई को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल हाईकोर्ट कर्मचारी किशन पिल्लई और 108 अन्य कर्मचारियों ने वर्ष 2016 में यह याचिका दायर की थी। जिसमें उच्च वेतनमान का लाभ नहीं दिए जाने को चुनौती दी गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल 2017 को आदेश पारित करते हुए कहा था यह मामला 27 जून 2015 से सरकार के समक्ष विचाराधीन है। अब चार सप्ताह के भीतर मामले का निपटारा किया जाए। आदेश का पालन नहीं होने पर 2018 में अवमानना याचिका दायर की गई। गत 26 मार्च को हाईकोर्ट ने आदेश के पालन में लगातार हो रही देरी पर नाराजगी जताई थी। मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। इसके बाद सुनवाई में सरकार की ओर से बताया गया कि मुख्य सचिव इस तारीख पर उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन अगली सुनवाई पर वे कोर्ट में पेश होंगे।

छतरपुर कलेक्टर सहित अन्य से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने कलेक्टर छतरपुर, एसडीएम लवकुशनगर, तहसीलदार चंदला सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। मामला महज लिमिटेशन के आधार पर प्रकरण निरस्त किए जाने के रवैये को चुनौती से संबंधित है।

याचिकाकर्ता छतरपुर निवासी राजेंद्र अहिरवार की ओर से अधिवक्ता शंभूदयाल गुप्ता व कपिल गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता की पैतृक संपत्ति और कृषि भूमि है। जिस पर वे करीब 40-50 वर्षों से काबिज हैं। 10-15 वर्ष पहले सह खातेदारों से आपसी बंटवारा हो गया था। सभी खातेदार आज भी उसी बंटवारे के अनुसार काबिज हैं। उक्त भूमि के सह खातेदार नत्थू द्वारा बंटवारा पेश कर पटवारी से सांठगांठ कर भूमि अपने नाम करवा ली गई। इसकी याचिकाकर्ता को जानकारी नहीं दी गई। जिसके बाद में एसडीएम के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया। एसडीएम ने चार वर्ष के विलंब के आधार पर मामला निरस्त कर दिया गया। इसके उपरांत कलेक्टर के समक्ष अपील की। कलेक्टर ने सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रकरण निरस्त कर दिया, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई है।

तथ्य छिपाकर राहत लेने के मामले में कोर्ट सख्त

वकील पर पचास हजार का जुर्माना

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने तथ्य छिपाकर राहत लेने वाले अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान पर 50 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई है। उन पर आरोप है कि जिस मामले में मुख्यपीठ जबलपुर की बेंच ने याचिका खारिज कर दी थी, उसकी जानकारी होने के बावजूद समान मामले में इंदौर बेंच से अंतरिम राहत ले ली। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने अधिवक्ता को निर्देशित किया है कि वह कॉस्ट की राशि हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के सचिव को भुगतान करें।

दरअसल, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े एक मामले में सुनवाई चल रही थी। मामले पर अधिवक्ता चौहान वीसी के जरिए उपस्थित हुए। इसी मामले में संलग्न अन्य याचिकाओं के अधिवक्ताओं ने न्यायालय को बताया कि जबलपुर बेंच ने 6 अप्रैल को समान मुद्दे पर दायर याचिकाएं खारिज कर दी थीं। अधिवक्ता चौहान ने यह तथ्य छिपाते हुए समान मुद्दे के प्रकरण में इंदौर बेंच से 27 अप्रैल को अंतरिम राहत ले ली। अधिवक्ता चौहान ने दलील दी कि जो याचिकाएं निरस्त हुई हैं, वे उसमें पैरोकार नहीं थे, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने तथ्य छिपाया है। न्यायालय ने कहा कि इसी मुद्दे से जुड़ी कई याचिकाओं में अधिवक्ता चौहान ऑनलाइन पैरवी कर रहे हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वे उक्त तथ्य से अवगत नहीं थे। इसके अलावा इस केस में वे बिना वकालतनामा उपस्थित हुए हैं।

एक नजर में

सरकारी संपत्ति पर एकेडमी संचालक कर रहा तोड़फोड़

नवभारत, जबलपुर। जबलपुर क्रिकेट की कुछ एकेडमी के संचालकों ने बल्ली किकेट एकेडमी के संचालक बल्ली सोनकर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एम.एच. किकेट एकेडमी, जे.पी.क्रिकेट एकेडमी और जाबाली किकेट एकेडमी के संचालकों ने शुक्रवार को रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के खेल अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपते हुए बताया कि रानीताल स्टेडियम में संचालित बल्ली किकेट एकेडमी के संचालक बल्ली सोनकर के द्वारा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है । इतना ही सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने की नियत से उनके द्वारा सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ की गई। विरोध करने पर अन्य एकेडमियों के संचालकों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सरकारी संपत्तियों में लगे सीसी कैमरे की जांच होगी तो उसमें सारे फुटेज स्पष्ट कर देंगे कि तोड़फोड़ किस तरह से हो रही है। एकेडमी संचालकों ने खेल अधिकारी से ये भी मांग की कि इस तरह की अनैतिक गतिविधियों पर रोक लगनी चाहिए और असामाजिक तत्वों को खेल गतिविधियों से दूर रखना चाहिए।

महिला के परिवार को दी जाए सुरक्षा

नवभारत, जबलपुर। अधारताल के कटरा क्षेत्र में रहने वाली सीमा लखेरा हिन्दू धर्म सेना के प्रदेश अध्यक्ष नीरज राजपूत और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँची, जहाँ उन्होंने एसपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि पड़ोस में रहने वाले एक समुदाय के परिवार द्वारा उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। आरोप ये भी है कि आरोपी लगातार अवैध कारोबार कि वह यहाँ से घर छोड़कर चले जायें। इस दौरान पुलिस से मांग की गई है कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए और पड़ोसी पर कार्रवाई की जाए। ज्ञापन सौंपते वक्त धर्म सेना के संस्थापक योगेश अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष नीरज राजपूत, मुकेश रजक नाश सुखदान, भरत पासी, अभय राजपूत, कार्तिक, परमदीप, रोहित सहित अन्य मौजूद रहे।

यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधा

जबलपुर, नवभारत। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं बेहतर रेल संचालन को ध्यान में रखते हुए मंडला फोर्ट-नैनपुर-जबलपुर खंड में संचालित यात्री ट्रेनों का विलय कर नई एकीकृत रेल सेवाएं प्रारंभ की जा रही हैं। यह नई व्यवस्था आज 09 एवं 10 मई से प्रभावी होगी। इस पहल के अंतर्गत पूर्व में अलग-अलग संचालित होने वाली पैसेंजर ट्रेनों को जोड़कर यात्रियों को अधिक सुगम एवं निर्बाध यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे यात्रियों को ट्रेन बदलने की असुविधा से राहत मिलेगी तथा यात्रा समय में भी सुविधा होगी। इसी क्रम में आज 09 मई को मंडला फोर्ट स्टेशन पर ट्रेन संख्या 51706 एवं 58824 के उद्घाटन अवसर पर फ्लैग ऑफ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गाड़ी संख्या 51703 जबलपुर-मंडला फोर्ट पैसेंजर जबलपुर से रवाना 6:55 बजे होकर गढ़ा, ग्वारीघाट, जामतारा परसवारा, चारघाट पिपरिया, बरगी, सुकरी मंगेला, कलादेही, शिकारा, बिनैकी के रास्ते मंडला की ओर जाएगी। इसके साथ ही गाड़ी संख्या 51704/05/06 भी इसी रूट से होकर चलाई जाएगी।

मजदूर संघ और रेलवे प्रबंधन की पीएनएम बैठक में कर्मचारियों की सुविधाओं पर लगी मुहर

जबलपुर, नवभारत। पमरे मुख्यालय में वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ और रेलवे प्रशासन के बीच दो दिवसीय महत्वपूर्ण पीएनएम बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में रेल कर्मचारियों की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई और उनके समाधान के लिए ठोस निर्णय लिए गए। संघ के अध्यक्ष सी.एम. उपाध्याय के नेतृत्व में महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह के समक्ष रेलकर्मियों की लंबित मांगों को प्रमुखता से रखा गया। महाप्रबंधक ने इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। रेल कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए एक स्पष्ट और पारदर्शी नीति बनाने पर भी सहमति बनी है। पीडब्ल्यूडी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जीडीसीई की रद्द परीक्षाओं के लिए दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा ताकि पात्र कर्मचारियों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके।

इनकी रही मौजूदगी

बैठक में शामिल प्रमुख पदाधिकारी और सदस्य इस महत्वपूर्ण बैठक में संघ की ओर से कार्यकारी अध्यक्ष बी.एल. मिश्रा, मंडल अध्यक्ष एसएन शुक्ला, आरके शर्मा और महेन्द्र सिंह खींची उपस्थित रहे। मंडल सचिव डीपी अग्रवाल, अब्दुल खालिक और कमलेश परिहार ने भी अपने विचार रखे। इनके अलावा कोषाध्यक्ष एमएस पुरी, संदीप श्रोती, सतीश कुमार, हर्ष वर्मा, धीरज अग्रवाल, पीसी मीणा, नवीन ताजी, अनिल सैनी, डीके शर्मा और संतोष चतुर्वेदी ने चर्चा में भाग लिया। महिला सदस्यों में सविता त्रिपाठी, अभिलाषा चौहान, निशा माल्या और सिया पचौरी की सक्रिय भागीदारी रही। बैठक में अनुरुद्ध सोनी, सज्जन कुमार और बनवारीलाल मीणा भी मौजूद रहे।

आवासों का रखरखाव और सुविधाओं का विस्तार

रेलवे कॉलोनियों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए आवासों के बेहतर रखरखाव और मरम्मत की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त जबलपुर, सतना और कटनी मुड़वारा जैसे प्रमुख स्टेशनों के स्टेशन मैनेजर पैनल कक्षों को वातानुकूलित बनाया जाएगा। रनिंग रूम में कर्मचारियों को रियायती दर पर मिलने वाले भोजन के अलावा नॉन-सब्सिडाइज्ड भोजन का विकल्प भी उपलब्ध होगा। रनिंग स्टाफ के स्थानांतरण और नई पदस्थापना पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि ड्यूटी के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

जेठ ने पीटा, गला दबाया तो महिला ने खुद को लगाई थी आग

जबलपुर। गोरखपुर सिद्धनाथ स्थित रीवा कॉलोनी में एक 27 वर्षीय विवाहिता शिखा यादव ने ससुराल पक्ष की प्रताड़ना और मारपीट से तंग आकर आत्मघाती कदम उठाया था। मर्ग जांच में यह बात सामने आई कि फ्रिज खोलने पर हुए विवाद पर जेठ ने पीटने के साथ गला दबाया था। पति मुकेश, सास और ससुर भी प्रताड़ित करते थे। तंग आकर महिला ने खुद को आग के हवाले कर दिया था। इस दौरान उसका बेटा भी झुलस गया था। पुलिस के मुताबिक श्रीमति शिखा यादव पति मुकेश यादव 27 वर्ष निवासी रीवा कालोनी सिद्धनाथ ने घर में रखी प्लास्टिक की कुप्पी में रखे मिटटी तेल डालकर आत्महत्या कर ली थी । पुलिस ने मर्ग कायम कर मायके पक्ष के बयान दर्ज किए । मृतिका के भाई आदित्य श्रीपाल ने बताया कि शिखा का विवाह 9 मई 2019 को मुकेश यादव के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद से ही पति मुकेश, सास और ससुर उसे मायके से पैसे लाने के लिए प्रताड़ित करने लगे थे। छोटी-छोटी बातों पर विवाद कर शिखा के साथ मारपीट की जाती थी। पूर्व में भी विवाद होने पर भाई ने 20,000 रुपये दिए थे, फिर भी ससुराल वालों का व्यवहार नहीं बदला। परिजनों ने बताया कि 20 अप्रैल 2026 की शाम को विवाद की वजह महज एक फ्रिज का दरवाजा बना। शिखा ने अपने जेठ संतोष को फ्रिज खोलने से मना किया, जिससे आगबबूला होकर संतोष ने शिखा के साथ बेरहमी से मारपीट की और उसका गला दबाकर उसे जमीन पर पटक दिया। इस अपमान और प्रताड़ना से टूट चुकी शिखा ने घर में रखी कुप्पी से मिट्टी का तेल अपने ऊपर छिड़का और आग लगा ली। आग की लपटों ने शिखा के मंझले बेटे को भी अपनी चपेट में ले लिया था दोनों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए शिखा ने 22 अप्रैल को दम तोड़ दिया था। अस्पताल में अपनी मां को दिए आखिरी बयान में शिखा ने जेठ संतोष द्वारा गला दबाने और मारपीट करने की बात कबूल की थी। पुलिस ने पति, सास-ससुर और आरोपी जेठ के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

पाटन और सिहोरा में भी लगेगी नेशनल लोक अदालत

जबलपुर, नवभारत। आम नागरिकों को सस्ता, सरल और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 09 मई को जिला न्यायालय जबलपुर सहित तहसील न्यायालय पाटन एवं सिहोरा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार किया जा रहा है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कृष्णमूर्ति मिश्र के मार्गदर्शन में आयोजित इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शक्ति वर्मा ने बताया कि लोक अदालत में आपराधिक राजीनामा योग्य प्रकरण, सिविल प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, भरण-पोषण, चेक बाउंस, श्रम विवाद, राजस्व मामले, पारिवारिक एवं वैवाहिक प्रकरणों सहित बैंक, नगर पालिका, विद्युत विभाग एवं बीएसएनएल के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के अलावा इस बार वर्चुअल कोर्ट ई-यातायात चालान, प्ली-बारगेंनिग, उत्तराधिकारी, पूर्व वाणिज्यिक, मध्यस्थता, उपभोक्ता फोरम के मामले, भूमि अधिग्रहण, स्थायी लोक अदालत संबंधी मामले, का भी निराकरण किया जाएगा।

निरीक्षण

गौरीघाट के तटों का निगमायुक्त ने किया निरीक्षण

गौरीघाट सब्जी मंडी को बनाया जाएगा जीरो वेस्ट : निगमायुक्त

नवभारत, जबलपुर। पवित्र पावन नर्मदा तट, गौरीघाट की सुंदरता और स्वच्छता को बनाये रखने के लिए निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने क्षेत्र का विस्तृत दौरा कर श्री-आर री-डयूस, री-यूज, रीसायकल सेंटरों का निरीक्षण किया और घाटों के सौंदर्यीकरण के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश अधिकारियों को दिये। निगमायुक्त ने दौरे के मौके पर स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान में गौरीघाट स्थानीय सब्जी मंडी को जीरो वेस्ट बनाने एक ओर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये वहीं मंडी के सभी व्यापारी भाई बहनों से भी स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान में सहयोग करने पन्नी का उपयोग न करने आग्रह किया। उन्होंने संवाद के दौरान यह भी समझाईश दी कि कोई भी सब्जी खरीदने आता है तो उन्हें थैले में ही सब्जी दें, पन्नी के लिए मना करें। निगमायुक्त ने समझाईश के दौरान सभी से आग्रह कर बताया कि देश के स्वच्छ घाटों में से एक पवित्र घाट है अपना गौरीघाट भी है यहाँ स्वच्छता बनाए रखने में आप सभी लोग सहयोग प्रदान करें और व्यवस्थित तरीके से दुकानों को संचालित करें। निरीक्षण के दौरान निगमायुक्त श्री अहिरवार ने कहा कि नर्मदा तट की पवित्रता और आगंतुकों की सुविधा सर्वोपरि है। इस अवसर पर अपर आयुक्त अशफाक परवेज कुरैशी, उपायुक्त संभव अयाची, अधीक्षण यंत्री कमलेश श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री शैलेन्द्र मिश्रा, स्वास्थ्य अधिकारी अंकिता बर्मन, संभागीय अधिकारी पंकज अवस्थी, सहायक नोडल अधिकारी अभिनव मिश्रा, उपयंत्री श्रीमती शोभना, अरूण पटैल, सौरभ चैकसे, बाजार अधीक्षक राजेन्द्र दुबे आदि उपस्थित रहे।